

20-3-25

वकील उत्पी उपस्थित। वकील छापी ने
डिडी अमुका इन्तकाल स्वीकृत होना बताया।
घाफना - पत्र के कपकपी शेष नहीं होने
पर घाफना - पत्र स्वीकृत किया जाता है।
पत्रावली नंबर से फोटो होकर डीपीएल उपलब्ध
हो।
आदेश लेने शकलान हुमाया गया।

GCMS
2024/715


उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

